91/25

राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

क्रमांक :– एफ.2(296)/स्था/पमु./2012/ दिनांक :

परिपत्र

प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा परिपत्र क्रमांक प.10(1)प्र.सु./अनु–1/2012 दिनांक 30.3.2012 जारी कर निर्देश दिये गये हैं कि "राजकीय कर्तव्य के निर्वहन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जो पत्र प्रेषित किये जाते हैं एवं टिप्पणी/नोट निर्णयार्थ उच्च स्तर पर प्रस्तुत किये जाते हैं, उन पर प्रायः उनके हस्ताक्षर के नीचे उनका पूरा नाम एवं दिनांक अंकित नहीं किये जाते हैं तथा केवल पद नाम ही अंकित कर दिया जाता है, जब किसी कारणवश उनके पद या अन्य विवरण की जानकारी आवश्यक हो अथवा जांच की स्थिति उत्पन्न होने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की पहचान नहीं हो पाती है तथा जिससे जांच में विलम्ब होता है एवं जांच प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। प्रशासन के फील्ड कार्यरत कार्मिकों जैसे पटवारी, ग्राम सचिवों के मामले में इसका और भी गहरा असर होता है।

अतः शासन तंत्र के सभी स्तरों पर पारदर्शिता लाने की दृष्टि से एवं जवाबदेही प्रशासन की धारणा को मूर्तरूप देने के लिए यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं फील्ड में कार्यरत सभी कार्मिक राजकीय कर्तव्य निर्वहन के दौरान किसी पत्र, नोट एवं अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करे तो अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक एवं अपना पूरा नाम आवश्यक रूप से अंकित करें, जिससे प्रशासन में बेहतर पारदर्शी एवं जवाबदेही स्थापित हो सके।

अन्य कार्मिक जो पत्र/आदेश आदि पर अपने पदनाम की मोहर लगाते हैं वे अपने नाम की मोहर भी अलग से पदनाम के ऊपर लगा सकते हैं अथवा नाम अंकित कर सकते हैं तथा उसके ऊपर अपने दिनांकित हस्ताक्षर कर सकते हैं।

उक्त निर्देशों की अवहेलना को गम्भीरता से लिया जायेगा और ऐसी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।"

इस संबंध में विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालयों को निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में किसी भी मामले में विभाग को अथवा अन्य संस्था, व्यक्ति इत्यादि को राजकीय कार्य के संबंध में पत्र व्यवहार करते समय अपने पद की मोहर के ऊपर अपना नाम सुस्पष्ट अक्षरों में मय दिनांक के लिखना सुनिश्चित करें।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णयों की अवहेलना पाये जाने पर विभाग के स्तर पर गम्भीरता से लिया जाकर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

17/10/12

(हेमन्त कुमार गेरा)
महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर

क्रमांक :– एफ.2(296)/स्था/पमु./2012/ 7487 – 7593 दिनांक : 19/10/12

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 शासन सचिव, वित (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2 अतिरिक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, वित्त–भवन, जयपुर।
3 वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय, अजमेर।
4 उप विधि परामर्शी/सहायक विधि परामर्शी, मुख्यालय, अजमेर।
5 अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक), जयपुर।
6 समस्त उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), राजस्थान
7 समस्त पूर्णकालीन उप पंजीयकगण राजस्थान।
8 मुख्य विधि सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक), वृत जयपुर/जोधपुर।
9 उप निदेशक (कम्प्यूटर) मुख्यालय, अजमेर को परिपत्र की प्रति विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
10 समस्त आन्तरिक लेखा जांच दल, मुख्यालय, अजमेर।
11 समस्त शाखाएं, मुख्यालय, अजमेर।

(रेणु जयपाल)
अतिरिक्त महानिरीक्षक,
पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग,
राजस्थान–अजमेर